उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-102/2016/1380/26-3-2016-10-(10)/2005

लखनऊ दिनांकः 04 मई 2016

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-75/2016/1142/26-3-2016-10(10)/2005, दिनांक-13.04.2016 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु प्राविधानित ध्न राशि रूपया-1,21,78,15,000/-(रूपया-एक अरब इक्कीदस करोड अठहत्तार लाख पन्द्रह हजार मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि की स्वीक़ति निर्गत की गयी थी।

2- शासनादेश संख्या- 75/2016/1142/26-3-2016-10(10)/2005, दिनांक-13.04.2016 द्वारा उक्तव योजनान्तशर्गत् लेखाशीर्षक-2225-01-789-12-12**-(कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)** मद मे रूपया-9000 हजार (रूपया-नब्बे लाख मात्रद्ध के स्थान पर टंकणीय त्रुटिवश रूपया-90 हजार (रूपया-नब्बे हजार मात्र) हो गया है। जिसे रूपया-90 हजार के स्थान पर रूपया-9000 हजार पढा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक-13.04.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

संख्या-102/2016/1380/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यध्क कार्यवाही हेतु प्रेषित.

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्ति नियंत्रक, निदेशक, समाज कलयाण उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्ति (व्याय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय.व्ययक) अनुभाग-1/2
6. राज्यि योजना आयोग अनुभाग-1/2
7. निदेशक, एन0ई0सी0 योजना भवन लखनऊ
8. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
9. गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in